

मैं पढ़ूंगी-लिखूंगी, स्कूल में बहुत कुछ सिखूंगी
न केवल खुद सक्षम बनूंगी, अपने परिवार को भी सक्षम बनाऊंगी।



बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार

- किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराने पर 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
- 14 से 18 साल के बच्चों से जोखिम भरा कार्य कराने पर सजा के भागीदार हो सकते हैं।
- अपराधी पाए जाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।



किसी भी
आपातकालीन
स्थिति में **100**
नंबर पर फोन कर
अपनी शिकायत
दर्ज कराएं।

बाल मजदूरी को रोकें, शिक्षा की ज्योत जलाओ

किसी भी बाल श्रम की घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने नजदीकी निम्न जगहों पर संपर्क करें-

- जिला बाल संरक्षण इकाई
- बाल श्रम अधिकारी
- चाइल्ड लाइन 1098
- स्थानीय पुलिस नंबर 100